

## :: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चमोली ::

आदेश संख्या/बेसिक-4/ 98 /4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

### :: स्थानान्तरण आदेश ::

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 (यथा संसोधित) एवं तदक्रम में शासनादेश संख्या - 525/XXIV- नवसृजित /2015-32/2013 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित देहरादून दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा नियमावली के प्रस्तर-10 (2), 10(3) एवं नियमावली के प्रस्तर 11(3),11(4) में उल्लिखित नियमों के आधार पर राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया है। जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के **राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका** का स्थानान्तरण निम्नवत् सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख "स्तम्भ-5" में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में किया जाता है।

स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे, यदि स्थानान्तरण से विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा हो तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र०सं०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
<b>1-उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कार्मिक की शिक्षक पति अथवा पत्नी</b>					
1	श्रीमती लक्ष्मी रौतेला	रा०प्रा०वि० भ्यूडार	जोशीमठ	रा०प्रा०वि० चोरमी	जोशीमठ
2	श्रीमती सती कण्डेरी	रा०प्रा०वि० खण्डूडा	कर्णप्रयाग	रा०प्रा०वि० खोलीजोकीसेम	पोखरी
3	श्रीमती मन्दोदरी बिष्ट	रा०प्रा०वि० रामडातल्ला	गैरसैण	रा०प्रा०वि० माठा	कर्णप्रयाग
<b>02- विकलांग शिक्षक</b>					
4	श्री सुरेन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० बंगथल	पोखरी	रा०प्रा०वि० पोखरी	पोखरी
5	श्रीमती सरोजनी देवराडी	रा०प्रा०वि० कुलसारी-अ,	नारायणबगड	रा०प्रा०वि० चौण्डा	थराली
<b>5- सेवा निवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि पर स्थानान्तरण</b>					
6	श्रीमती मंजू मलगुडी	रा०प्रा०वि० हयूणां	जोशीमठ	रा०प्रा०वि० जयकण्डी	कर्णप्रयाग
7	श्री भगवान सिंह मेहरा	रा०प्रा०वि० चिडिंगामल्ला	थराली	रा०प्रा०वि० करुडपानी	थराली
<b>09- पारस्परिक स्थानान्तरण</b>					
8	श्री प्रेम प्रकाश जोशी	रा०प्रा०वि० सौडामंगरा	पोखरी	रा०प्रा०वि० वीणा	पोखरी
9	श्रीमती वरदेई नेगी	रा०प्रा०वि० वीणा	पोखरी	रा०प्रा०वि० सौडामंगरा	पोखरी
<b>10- X से Y क्षेत्र में स्थानान्तरण</b>					
10	श्रीमती गीता सती	रा०प्रा०वि० टंगणी तल्ली	जोशीमठ	रा०प्रा०वि० हयूणां	जोशीमठ

( अशोक कुमार गुसाई )  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
चमोली


पृ०सं०/बेसिक-4/ 2290-01

/4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक-उक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड महोदय, के अवलोनार्थ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।

3. जिलाधिकारी, चमोली।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)।
7. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, जनपद चमोली।
8. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, जनपद चमोली।
9. उप शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड जनपद चमोली को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण आदेश तत्काल सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को तामील करायें।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जनपद चमोली।
11. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका जनपद चमोली को अनुपालन हेतु इस निर्देश के साथ कि नवीन तैनाती स्थल पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करें। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो कि उनका स्थानान्तरण नियमावली-2013(यथा संसोधित) में उल्लिखित निर्धारित नियमों के विपरीत हुआ है, तो वे एक माह के अन्तर्गत नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित कार्यालयाध्यक्ष/उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध करायें।
12. कार्यालय आदेश पत्रावली।

  
( अशोक कुमार गुसाई )  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
चमोली

**:: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चमोली ::**

आदेश संख्या/बेसिक-4/99 /4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

**:: स्थानान्तरण आदेश ::**

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 (यथा संसोधित ) एवं तदक्रम में शासनादेश संख्या - 525/XXIV- नवसृजित /2015-3 2013 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित देहरादून दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा नियमावली के प्रस्तर-10 (2), 10(3) एवं नियमावली के प्रस्तर 11(3),11(4) में उल्लिखित नियमों के आधार पर राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया है। जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के **राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक/अध्यापिका** का स्थानान्तरण निम्नवत् सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख "स्तम्भ-5" में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में किया जाता है।

स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे, यदि स्थानान्तरण से विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहा हो तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र०सं०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6
<b>1-उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक की शिक्षक पति अथवा पत्नी</b>					
1	श्रीमती विनीता लिंगवाल	रा०प्रा०वि० आली नवीन	पोखरी	रा०प्रा०वि० जौरासी	पोखरी
2	श्रीमती ममता	रा०प्रा०वि० तिमला	देवाल	रा०प्रा०वि० रैन	देवाल
3	श्री अन्सूया प्रसाद थपलियाल	रा०प्रा०वि० ग्वानखरीक	देवाल	रा०प्रा०वि० झिझौणी,	नारायणबगड
4	श्री लक्ष्मण सिंह नेगी	रा०प्रा०वि० कोटिपार	देवाल	रा०प्रा०वि० भटोली	कर्णप्रयाग
5	श्रीमती गीता चन्द्रा	रा०प्रा०वि० मोख मल्ला	घाट	रा०प्रा०वि० क्वीठी	पोखरी
6	श्री कमलेश चन्द्र	रा०प्रा०वि० चौरडा	गैरसैण	रा०प्रा०वि० बेडीतल्ली	गैरसैण
7	श्रीमती कान्ति कनवासी	रा०प्रा०वि० हरमनी तल्ली,	नारायणबगड	रा०प्रा०वि० मैठाणा कुजूस,	पोखरी
8	<del>श्रीमती ज्योति नेमी</del>	<del>रा०प्रा०वि० बौब</del>	<del>पोखरी</del>	<del>रा०प्रा०वि० देवलमडसारी</del>	<del>कर्णप्रयाग</del> <b>निल्ट</b>
<b>02- विकलांग शिक्षक</b>					
9	श्री विनोद प्रकाश	रा०प्रा०वि० डांडौ	पोखरी	रा०प्रा०वि० वल्ली	पोखरी
10	श्रीमती रेखा जोशी	रा०प्रा०वि० गण्डासू	घाट	रा०प्रा०वि० सेमी,	पोखरी
11	श्री नन्दन सिंह नेगी	रा०प्रा०वि० नैल	गैरसैण	रा०प्रा०वि० रंगचौडा	गैरसैण
<b>06-विधवा, परित्यक्ता, विधुर/भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी</b>					
12	श्रीमती पूनम नेगी	रा०प्रा०वि० आली	पोखरी	रा०प्रा०वि० गिरसा	पोखरी
13	श्रीमती बुद्धि कुनियाल	रा०प्रा०वि० लेटाल	थराली	रा०प्रा०वि० करूडपानी	थराली
<b>07- X क्षेत्र के C श्रेणी से B श्रेणी में</b>					
14	श्रीमती चन्द्रलता	रा०प्रा०वि० धरगांव- II	घाट	रा०प्रा०वि० चमाली	कर्णप्रयाग
15	श्रीमती विजया रावत	रा०प्रा०वि० कोटकण्डारा	कर्णप्रयाग	रा०प्रा०वि० पोल	दशोली
<b>8- Y से Y क्षेत्र के E,F श्रेणी में स्थानान्तरण</b>					
16	श्री सुशील कुमार	रा०प्रा०वि० कनखुरा	देवाल	रा०प्रा०वि० धलकांचुला,	कर्णप्रयाग
17	श्री संजय कुमार	रा०प्रा०वि० कोलियागैर	देवाल	रा०प्रा०वि० तांगला	घाट
18	श्री राकेश सिंह सगोई	रा०प्रा०वि० पैंग	जोशीमठ	रा०प्रा०वि० लाता	जोशीमठ

*(Handwritten Signature)*  
22/07/15

19	श्री बलवीर चन्द्र	रा0प्रा0वि0 किमोली	नारायणबगड	रा0प्रा0वि0 मैलाणा	गैरसैण
20	श्री देवी दत्त जोशी	रा0प्रा0वि0 धुराधारकोट	देवाल	रा0प्रा0वि0 बूगां	नारायणबगड
21	श्री प्रताप राम	रा0प्रा0वि0 दियारतोली	देवाल	रा0प्रा0वि0 कनखुरा	देवाल
22	श्री हरीश चन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 उत्तरीझूमाखेत	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 बाजाबजूनिया	गैरसैण
23	श्री जयवीर सिंह	रा0प्रा0वि0 अम्बेडकर पल्ला	जोशीमठ	रा0प्रा0वि0 ल्यारी	जोशीमठ
24	श्री हरेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 घिवांगी	जोशीमठ	रा0प्रा0वि0 पज्यांगामल्ला	गैरसैण
25	श्री उमेश चन्द्र नोटियाल	रा0प्रा0वि0 किमांगा	जोशीमठ	रा0प्रा0वि0 अरोसी,	जोशीमठ
26	श्री इन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 बलांग	देवाल	रा0प्रा0वि0 धुराधारकोट	देवाल
27	श्री जगमोहन सिंह नेगी	रा0प्रा0वि0 कोलानी	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 गोगना- II	गैरसैण
28	श्री विनोद जोशी	रा0प्रा0वि0 रौता	पोखरी	रा0प्रा0वि0 आली	पोखरी
29	श्रीमती बन्दना चौहान	रा0प्रा0वि0 आलीमज्याडी	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 आलीनवीन	पोखरी
<b>09- पारस्परिक स्थानान्तरण</b>					
30	श्री महेन्द्र लाल	रा0प्रा0वि0 लामबगड,	जोशीमठ	रा0प्रा0वि0 ढाक	जोशीमठ
31	श्री राजेन्द्र प्रसाद	रा0प्रा0वि0 ढाक	जोशीमठ	रा0प्रा0वि0 लामबगड	जोशीमठ
32	श्री हरीश राम तोरतियाल	रा0प्रा0वि0 सग्वाडा	थराली	रा0प्रा0वि0 टुण्डी	थराली
33	श्रीमती मंजू गुसाई	रा0प्रा0वि0 टुण्डी	थराली	रा0प्रा0वि0 सग्वाडा	थराली
34	श्री विक्रम सिंह	रा0प्रा0वि0 बुरसोल	थराली	रा0प्रा0वि0 सिलोडी	थराली
35	श्री जगदीश प्रसाद	रा0प्रा0वि0 सिलोडी	थराली	रा0प्रा0वि0 बुरसोल	थराली
36	श्री वासुदेव लाल	रा0प्रा0वि0 पेव	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 कैडा	गैरसैण
37	श्री कर्ण सिंह	रा0प्रा0वि0 कैडा	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 पेव	गैरसैण
<b>07- X क्षेत्र के Y क्षेत्र में</b>					
38	श्री राम सिंह	रा0प्रा0वि0 नौगांव-2	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 दुवतोली	गैरसैण
39	श्री महेन्द्र सिंह	रा0प्रा0वि0 बजियांगी	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 चटिंग्याला	कर्णप्रयाग

( अशोक कुमार गुसाई )  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
चमोली


पृ0सं0/बेसिक-4/2302-13 /4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक-उक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड महोदय, के अवलोनार्थ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)।
7. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, जनपद चमोली।
8. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, जनपद चमोली।
9. उप शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड जनपद चमोली को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण आदेश तत्काल सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को तामील करायें।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जनपद चमोली।

*(Handwritten Signature)*  
DCC (S)

- 1. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका जनपद चमोली को अनुपालन हेतु इस निर्देश के साथ कि नवीन तैनाती स्थल पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करें। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो कि उनका स्थानान्तरण नियमावली-2013(यथा संसोधित) में उल्लिखित निर्धारित नियमों के विपरीत हुआ है, तो वे एक माह के अन्तर्गत नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित कार्यालयाध्यक्ष/उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध करायें।
- 12. कार्यालय आदेश पत्रावली।

  
( अशोक कुमार गुसाई )  
जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि०  
चमोली

**:: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चमोली ::**

आदेश संख्या/बेसिक-4/ 101 /4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

**:: स्थानान्तरण आदेश ::**

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 (यथा संसोधित ) एवं तदक्रम में शासनादेश संख्या - 525/XXIV-नवसृजित/2015-32(01) 2013 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित देहरादून दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा नियमावली के प्रस्तर-10 (2), 10(3) एवं नियमावली के प्रस्तर 11(3),11(4) में उल्लिखित नियमों के आधार पर राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया है। जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों** में **कार्यरत सहायक अध्यापक/अध्यापिका** का स्थानान्तरण निम्नवत् सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख "स्तम्भ-6" में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाता है।

स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे, यदि स्थानान्तरण से विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र०सं०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम एवं विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7
<b>1-उत्तराखण्ड के विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कार्मिक की शिक्षक पति अथवा पत्नी</b>						
1	श्री मंशाराम गौड	स0अ0-विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 पैनगढ,	थराली	रा0उ0प्रा0वि0 माल,	नारायणबगड
2	श्री संजय शर्मा	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 मौपां	नारायणबगड	रा0उ0प्रा0वि0 कफोली	नारायणबगड
3	श्री राकेश कुमार सोनियाल	स0अ0-विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 हरमल,	देवाल	रा0उ0प्रा0वि0 जखेट,	जखेट
4	श्री विनोद चन्द्र	स0अ0-विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 सुया,	देवाल	रा0उ0प्रा0वि0 पगना,	दशोली
5	श्री सुजान सिंह बुटोला	स0अ0-विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 करछौं,	जोशीमठ	रा0उ0प्रा0वि0 दमढमा	कर्णप्रयाग
6	श्री कुलदीप सिंह नगी	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 मोख बारौं,	घाट	रा0उ0प्रा0वि0 चोपडाकोट,	घाट
<b>02- विकलांग शिक्षक</b>						
7	श्री आशाराम	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 सिराणा,	गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0 फरकण्डे,	गैरसैण
<b>5- सेवा निवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि</b>						
8	श्री धर्मन्द्र सिंह	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 कुणखेत	गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0 कल्याणा	गैरसैण
9	श्री बलवन्त सिंह	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 कल्याणा	गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0 नौगांव	गैरसैण
<b>06-विधवा, परित्यक्ता, विधुर/भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी</b>						
10	श्रीमती महेशी बिष्ट	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 मूसौं	गैरसैण	रा0क0उ0प्रा0वि0 मेहलचौरी	गैरसैण
<b>8- Y से Y क्षेत्र के E,F श्रेणी में स्थानान्तरण</b>						
11	श्री रघुवीर लाल पंकज	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 पेरी	घाट	रा0उ0प्रा0वि0 रामणी	घाट
12	श्री भगवत सिंह	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 देवीधार किमोली	नारायणबगड	रा0उ0प्रा0वि0 बणचौरी	नारायणबगड
13	श्री प्रमोद कुमार नवनी	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 रैगांव	नारायणबगड	रा0उ0प्रा0वि0 गोगना	गैरसैण
14	श्री विक्रम सिंह मेहरा	स0अ0-विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 रैन	देवाल	रा0उ0प्रा0वि0 काटेडा	देवाल
15	श्री विपिन कुमार राज	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 नाखोली	नारायणबगड	रा0उ0प्रा0वि0 कुणखेत	गैरसैण
16	श्री दीवान सिंह नेगी	स0अ0-विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 रिंगी	जोशीमठ	रा0उ0प्रा0वि0 मोख बारौं	घाट
17	श्री सतीश चन्द्र टमटा	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 जूनीधार	थराली	रा0उ0प्रा0वि0 रेई	नारायणबगड
18	श्री सुभाश चन्द्र सैनी	स0अ0-विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 कुण्डडुप्रां	कर्णप्रयाग	रा0उ0प्रा0वि0 कालूसैण,	कर्णप्रयाग
19	श्री हेमन्त भट्ट	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 वांक	देवाल	रा0उ0प्रा0वि0 चिडिगांतला,	थराली

20	श्री हीरा सिंह पुण्डरीर	स0अ0-सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 घिनपांणी	थराली	रा0उ0प्रा0वि0 पैटी	नारायणबगड
----	-------------------------	--------------	------------------------	-------	--------------------	-----------

( अशोक कुमार गुसाई )  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
चमोली

पू0सं0/बेसिक-4/ 2326-37 /4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक-उक्तवत।  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड महोदय, के अवलोनार्थ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)।
7. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, जनपद चमोली।
8. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, जनपद चमोली।
9. उप शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड जनपद चमोली को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण आदेश तत्काल सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को तामील करायें।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जनपद चमोली।
11. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका जनपद चमोली को अनुपालन हेतु इस निर्देश के साथ कि नवीन तैनाती स्थल पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करें। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो कि उनका स्थानान्तरण नियमावली-2013(यथा संसोधित) में उल्लिखित निर्धारित नियमों के विपरीत हुआ है, तो वे एक माह के अन्तर्गत नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित कार्यालयाध्यक्ष/उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध करायें।
12. कार्यालय आदेश पत्रावली।

( अशोक कुमार गुसाई )  
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0  
चमोली

**:: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) चमोली ::**

आदेश संख्या/बेसिक-4/ 100 /4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक 21 जुलाई 2015

**:: स्थानान्तरण आदेश ::**

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 (यथा संसोधित ) एवं तदक्रम में शासनादेश संख्या - 525/XXIV-नवसृजित/2015-32(01) 2013 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित देहरादून दिनांक 16 जुलाई 2015 के अनुपालन में जनपदीय स्थानान्तरण समिति द्वारा नियमावली के प्रस्तर-10 (2), 10(3) एवं नियमावली के प्रस्तर 11(3),11(4) में उल्लिखित नियमों के आधार पर राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अनुमोदन दिया गया है। जनपदीय समिति के अनुमोदनोपरान्त जनपद के **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका** का स्थानान्तरण निम्नवत् सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख "स्तम्भ-6" में अंकित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया जाता है।

स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे , यदि स्थानान्तरण से विद्यालय में 50 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों की कमी हो रही हो, तो ऐसी दशा में शिक्षक विद्यालय से तभी कार्यमुक्त होंगे जब विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती हो जाय। परन्तु यदि नियमित शिक्षक की प्रतिस्थानी के रूप में तैनाती न हो पा रही हो, तो स्थानान्तरित शिक्षक को कार्यमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संबंधित विद्यालय में किसी शिक्षक की व्यवस्था पर तैनाती की जायेगी।

क्र०सं०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	पदनाम एवं विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7
<b>5- सेवा निवृत्ति में 03 वर्ष या उससे कम अवधि</b>						
1	श्री देवेन्द्र सिंह	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० रायगढी,	जोशीमठ	रा०उ०प्रा०वि० रानों,	पोखरी
2	श्री गोपाल सिंह कण्डारी	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० गैरवारम,	नारायणबगड	रा०उ०प्रा०वि० डिम्मर,	कर्णप्रयाग

( अशोक कुमार गुसाई )

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

चमोली

पू०सं०/बेसिक-4/ 2314-25 /4(2) सेवायें (वार्षिक स्थानान्तरण)/2015-16 दिनांक-उक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड महोदय, के अवलोनार्थ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली (गोपेश्वर)।
7. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, जनपद चमोली।
8. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, जनपद चमोली।
9. उप शिक्षा अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड जनपद चमोली को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरण आदेश तत्काल सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को तामील करायें।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जनपद चमोली।
11. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका जनपद चमोली को अनुपालन हेतु इस निर्देश के साथ कि नवीन तैनाती स्थल पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करें। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो कि उनका स्थानान्तरण नियमावली-2013(यथा संसोधित) में उल्लिखित निर्धारित नियमों के विपरीत हुआ है, तो वे एक माह के अन्तर्गत नियमों के विपरीत किये गये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुष्ट साक्ष्य सहित कार्यालयाध्यक्ष/उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन उपलब्ध करायें।
12. कार्यालय आदेश पत्रावली।

( अशोक कुमार गुसाई )

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

चमोली